न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–49/2015 दायर दिनांकः 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00173

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

– वादी

बनाम

1. श्री छोटूलाल वर्मा आईएलआर नैनवां तत्कालीन हाल बून्दी।
2. श्री महावीर प्रसाद शर्मा पटवारी नैनवां हाल प0म0 मानपुरा तह0 नैनवां।
3. श्री इन्द्रा देवी पत्नी ब्रजेश कुमार जाति महाजन निवासी नैनवां।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 06.09.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम में भूमि खसरा संख्या 5910/3446 रकबा 10 बीघा एवं खसरा संख्या 5911/3447 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 16.6.72 को आंवटी पाना बाई बेवा मदनलाल महाजन निवासी नैनवां को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 3446/1 व खसरा संख्या 3447/1 भूमि की तरमीम दिनांक 23.09.2008 को आईएलआर एवं पटवारी द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम की भूमि खसरा सं. 3446/1 व खसरा संख्या 3447/1 कुल रकबा 15 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 2 पटवारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने निवेदन किया कि उक्त आवंटन नगरपालिका सीमा के गजट नोटेफिकेशन की सीमा से बाहर है । तरमीम पूर्णतया खातेदार के कब्जे के आधार पर की गई है।

अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि तरमीम आवंटन आदेशों के मुताबिक जारी कब्जा रिपोर्ट के अनुरूप ही की गई है। भूमि आवंटन नियम 1970 के मुताबिक आवंटित कर उसकी नियमानुसार तरमीम सडक से निर्धारित दूरी पर की गई है। अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने शपथ–पत्र, प्रार्थना पत्र वास्ते काश्त हेतु नई जमीन [illegible] हेतु आवेदन पत्र, नकल नक्शा ट्रेस, बयान गवाह आदि पेश किये। वकील प्रतिवादी [illegible] किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की [illegible] आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 0[illegible] नियम 11 ई के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

...दी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 ...पीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ
नैनवाँ (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:22:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner